उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1

संख्या-02/2020/आडिट-1-13/दस- 2020-322(5)/2003

लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2020

विज्ञप्ति/सेवा निवृत्ति

सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा संगठन के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष 2020 में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर, अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में उल्लिखित दिनांक के अपरान्ह् में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम -56 (क) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हो जायेंगे :-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	पदनाम	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	01.01.1961	31.12.2020
2	इन्द्र प्रकाश सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	10.05.1960	31.05.2020
3	रोबिन रस्तोगी	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	04.12.1960	31.12.2020
4	विद्या शंकर द्विवेदी	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	15.10.1960	31.10.2020
5	सूर्यभान सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	12.01.1960	31.01.2020
6	भुवनेश्वर चौबे	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	01.04.1960	31.03.2020
7	कृष्ण कुमार श्रीवास्तव	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	20.07.1960	31.07.2020
8	अर्जुन कुमार	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	07.07.1960	31.07.2020
9	जगदीश सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	15.01.1960	31.01.2020
10	विजय कुमार श्रीवास्तव	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	01.03.1960	29.02.2020
11	अनिल कुमार मणि त्रिपाठी	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	03.05.1960	31.05.2020
12	राज किशोर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	22.03.1960	31.03.2020

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	उदय वीर सिंह यादव	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	01.07.1960	30.06.2020
14	घनश्याम सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	05.04.1960	30.04.2020

भुवनेश कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-02/2020/आडिट-1-13(1)/दस-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ ।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित विभाग जहां अधिकारी कार्यरत हैं, द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0, प्रयागराज को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ, वे कृपया मुद्रित राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियां शासन को उपलब्ध करायेंगे।
7. सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

रवीन्द्र नाथ सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।